रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 677] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 23, 1996/अग्रहायण 2, 1918
No. 677] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 23, 1996/AGRAHAYANA 2, 1918

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1996

का.आ. 811(अ).—बोडो सुरक्षा बल जिसका नया नाम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोरोलैंड है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एन.डी.एफ.बी. कहा गया है) जिसका घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर भारत संघ से उक्त क्षेत्र को अलग करके "मुक्त" बोडोलैंड बनाना है तथा ऐसे समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ मिलकर भारत-बर्मा क्षेत्र की राष्ट्रीय मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष जारी रखना है :

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि एन.डी.एफ. बी.—

(i) पृथक बोडोलैंड बनाने के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए विभिन्न अवैध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में लिप्त हैं जिनका आशय भारत की प्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता विच्छिन्न करना है या जिनसे भारत की प्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखण्डता विच्छिन्न होती है,

(ii) पृथक बोडो लैन्ड बनाने के लिए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन.एस.सी.एन.) जैसे विधि-विरूद्ध संगठनों के साथ गठबंधन,

(iii) उस अवधि के दौरान जब इसे विधि-विरुद्ध संगठन घोषित किया जा चुका था, अपने उद्देश्यों के अनुसरण में कई विधि-विरूद्ध और हिंसक गतिविधियों में लगा रहा जिसके द्वारा विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्राधिकार को नुकसान पहुंचाना और लोगों के बीच आंतक और डर फैलाना है।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि हिंसात्मक क्रियाकलापों के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

(i) 18.5.1995 से 27.10.1996 तक की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसात्मक और आतंकवादी घटनाएं जिनमें 158 हत्याएं सम्मिलित हैं, एन.डी.एफ.बी. द्वारा की गई मानी जा सकती हैं।

(ii) पृथक बोडोलैंड बनाने की योजनाओं को वित्त पोषित करने और उसे निष्पादित करने के लिए सरकारी अधिकारियों और अन्य नागरिकों के व्यपहरण के कार्य के अतिरिक्त उनसे फिरौती की बड़ी धनराशि वसूलने में लिप्त होना।

(iii) अपने आतंकवदी और विद्रोही क्रियाकलाप जारी रखने के दौरान नये काडरों की भर्ती और जिला, आंचलिक तथा शाखा समितियों को पुन: गठित करने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ करना।

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित शोषण को उजागर करते हुए तथा लोगों को तथाकथित स्वतंत्रता संघर्ष में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते हुए चोरी छिपे इश्तहार, पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उनकी देशभक्ति से विमुख करना है।

(v) अपने काडरों को पुलिस भेदियों/सरकारी सहयोगियों और कांग्रेस (ई) कार्यकर्ताओं की उनके विरूद्ध—प्रतिकारात्मक कार्रवाई के लिए कमजोर निशानों की पहचान करने के लिए सूची बनाने के लिए अनुदेश देना।

(vi) गैर बोडो लोगों की बीच भय और असुरक्षा फैलाने और बोडो क्षेत्र से उनके पलायन के उद्देश्य से हत्याएं और जातीय हिंसा कराना जिसके परिणामस्वरूप कोकराझार, बोगई गांव और बारपेटा

जिलों में हत्याएं, सम्पत्ति का नुकसान और हजारों गैर बोडो लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा।

(vii) उल्फा और एन.एस.सी.एन. जैसे विधि विरूद्ध संगमों के साथ विधि विरूद्ध आतंकवादी गतिविधियों और उनके संवर्गों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में परस्पर सहायता के लिए निकट संबंध बनाए रखना।

(viii) अपनी अलगाववादी गतिविधियां चलाने के लिए देश के सीमा पार क्षेत्र में कैम्प और छिपने के स्थान बनाना।

(ix) पृथक बोडो लैंड बनाने के लिए किए जाने वाले संघर्ष में सशस्त्र और अन्य सहायता लेने के लिए अन्य देशों की भारत-विरोधी शक्तियों से सहायता लेना।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि उनके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर एन.डी.एफ.बी. के क्रियाकलाप भारत की प्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकर है और यह एक विधि-विरूद्ध संगम है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड को विधि-विरूद्ध संगम घोषित करती है।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि एन.डी.एफ.बी. की विधि-विरूद्ध गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह संगठन अपने आप को पुनः संगठित कर सकता है, नई भर्तियां कर सकता है, हिंसा, आतंकवाद और अलगाववाद, धन एकत्र करने के कार्य में लिप्त हो सकता है, और आम नागरिकों तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों के जीवन को खतरा उत्पन्न कर सकता है और इसीलिए ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण एन.डी.एफ.बी. को तत्काल प्रभाव से विधि-विरूद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि ऊपर उल्लिखित एन.डी.एफ.बी. के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए और "एन.डी.एफ.बी." द्वारा हाल ही में पुलिस, सशस्त्र बलों और सिविलियनों के विरूद्ध की गई निरंतर बढ़ती हुई हिंसा से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि "एन.डी.एफ.बी." को तत्काल प्रभाव से विधि-विरूद्ध संगम घोषित किया जाए और तदनुसार केन्द्रीय सरकार, उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि, अधिसूचना, किसी ऐसे आदेश के, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, अधीन रहते हुए राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11011/23/96-एन.ई.-4]

आर. डी. कपूर, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 1996

S.O. 811(E).—Whereas the Bodo Security Force since rechristened as National Democratic Front of Boroland (hereinafter referred to as NDFB) has as its professed aim, the "Liberation" of Bodoland resulting in bringing about the secession of the said areas from the Indian Union, in alliance with other armed secessionist organisations of the North East Region and to carry on struggle for the national liberation of the Indo-Burma region in alliance with like-minded organisations of that region :

And whereas, the Central Government is of the opinion that NDFB has :—

(i) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt or which disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate Bodoland;

(ii) aligned itself with other unlawful associations like United Liberation Front of Asom (ULFA) and National Socialist Council of Nagaland (NSCN) to create a separate Bodoland;

(iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the period when it had been declared as an unlawful association, thereby undermining the authority of the lawfully established government and spreading terror and panic among the people.

And whereas, the Central Government is further of the opinion that the violent activities include :—

(i) large-scale violent and terrorist incidents including 158 killings attributed to NDFB during the period from 18-5-1995 upto 27-10-1996;

(ii) indulging in extortions of money from the businessmen, government officials and other civilians in addition to acts of kidnapping for ransom with a view to finance and execute plans for creation of a separate Bodoland;

(iii) embarking on a systematic drive for recruitment of fresh cadres and revamping the district, anchalik and sakha committees, while continuing its terrorist and insurgency activities;

(iv) publishing clandestine leaflets, magazines highlighting the goal of the outfit and alleging exploitation by the Central Government and inciting the people to join the so-called liberation struggle thereby subverting their loyalties;

(v) instructing its cadres to compile the list of police informers/government collaborators and Congress (I) activitists, to identify soft targets for retaliatory action against them;

(vi) carnage and ethnic violence resulting in killings, destruction of property and exodus of thousands of

non-Bodos from their hearths and homes in Kokrajhar, Bongiagon and Barpeta districts with a view to spread panic and insecurity among non-Bodos and forcing them to migrate from Bodo areas;

(vii) maintaining close nexus with unlawful associations like ULFA and NSCN for mutual assistance in unlawful, terrorist activities and for training of its cadres;

(viii) establishing camps and hideouts across the country's border to carry out its secessionist activities;

(ix) obtaining assistance from anti-India forces in other countries to procure arms and other assistance in their struggle for creation of a separate Bodoland etc.

And whereas, the Central Government is also of the opinion that on the material placed before it, the activities of NDFB are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Democratic Front of Boroland to be an unlawful association;

And whereas the Central Government is also of the opinion that, unless the unlawful activities of NDFB are kept under control, the organisation may regroup and re-arm itself, make fresh recruitments, indulge in violent, terrorist and secessionist activities, collect funds etc. and endanger lives of innocent citizens and security forces personnel; and the circumstances therefore do exist which render it necessary to declare NDFB as an unlawful association with immediate effect;

And whereas the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of NDFB mentioned above and to meet the sustained and ever increasing violence committed by this outfit in the recent past against the police, the armed forces and the civilians, it is necessary to declare NDFB to be an unlawful association with immediate effect and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, the Central Government hereby directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 11011/23/96-NE.IV]

R. D. KAPUR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996